न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 115/2019

1. सुमन रानी पत्नी स्व0 राजवान पुत्र स्व0 बृजलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :–16.10.2019

वादीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीया का सही नाम सुमन रानी है, उसके ससुर का नाम बृजलाल है। वादीया के ससुर स्व0 बृजलाल के नाम से चक 6 क्यू तह0 श्री गंगानगर, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मिर्जेवाला के खाता सं0 44/38, मु0 न0 13,16,17 की कुल 15.750 हैक्टर में से 2.909 हैक्टर खातेदारी दर्ज थी, जो कि दादीय के ससुर व पति राजवान के देहांत के बाद उसके वारिसान के नाम जरिये इंतकाल सं0 475/05.07.18 के दर्ज हुई, जमाबंदी की नकल शामिल है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीया जो अपने ससुर/पति की जायज वारिस है के नाम ससुर की उपरोक्त भूमि में से जो हिस्सा दर्ज किया गया है, उसमें सुमन रानी के स्थान पर 'सुमन' दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादीया अपने ससुर स्व0 बृजलाल की जायज वारिस है तथा वादीया का सही नाम सुमन रानी है। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर परिचय–पत्र, कक्षा 10 वीं की मार्कशीट, कक्षा 12 वीं की मार्कशीट में भी वादीया का नाम सुमन रानी ही दर्ज है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा का फोटोयुक्त प्रमाण–पत्र शामिल है तथा उपरोक्त अन्य रिकॉर्ड आधार कार्ड आदि भी फोटोयुक्त बने हुए है। प्रार्थीया अब अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहती है, अतः राजस्व रिकॉर्ड में सुमन रानी के स्थान पर सुमन दर्ज होने से सुधार कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में बाधा पैदा हो रही है, अतः अपने आपको ससुर/पति से विरासतन मिली भूमि 1.968 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की खातेदार घोषित करवाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाकर सुमन के स्थान पर सुमन रानी दर्ज करवाना आवश्यक हो

गया है। वादीया ने प्रतिवादी से बार-बार आग्रह किया कि वह वादीया को उपरोक्त रकबा की खातेदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मौजूदा में सुमन के आगे रानी अर्थात् सुमन रानी दर्ज करे, मगर प्रतिवादी ने कल रोज स्पष्ट कहा है कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से वह दुरूस्ती करने में असमर्थ है, यही वाद हेतुक वादीया को प्राप्त हुआ है।

वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :-

(क) डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावें कि चक 6 क्यू तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 44/38, मु0 न0 13, 16, 17 की कुल 15.750 हैक्टर में से 1.968 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की वादीया को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए सुमन के आगे रानी दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो प्रदान किया जावें।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। वादीया की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति, श्रीगंगानगर की अनुशंषा के आधार पर चक 6 क्यू तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 44/38, मु0 न0 13, 16, 17 की कुल 15.750 हैक्टर में से 1.968 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि सुमन के स्थान पर सुमन रानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 12:37:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: